

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-2740735, फेक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-आ, आ/5864

जयपुर दिनांक :- 27/03/2025

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 245/2024-25 दिनांक 15.01.2025 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

1. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 165 पर अंकित राधिका गोयल, सलेअ-आ लिंक नं. 11896 के कॉलम संख्या 04 में वर्तमान कार्यालय का नाम अशुद्ध टंकित हो जाने के कारण "वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक विभाग, जयपुर" के स्थान पर "विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक विभाग, जयपुर" पढा जावें।
2. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 100 पर अंकित राजनन्दनी राठौड़, सलेअ-आ (लिंक नं. 12039) के कॉलम संख्या 04 में वर्तमान कार्यालय का नाम सहवन से अशुद्ध टंकित हो जाने के कारण "संभागीय संस्कृत शिक्षा, जयपुर" के स्थान पर "संभागीय संस्कृत शिक्षा, जोधपुर" एवं कॉलम संख्या 06 में "निशा चौधरी सलेअ-आ के रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढा जावें।
3. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 19 पर अंकित मीनाक्षी शर्मा, सलेअ-आ (लिंक नं. 12195) के स्थानान्तरण को विलोपित किया जाता है।
4. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 147 पर अंकित मनोहर लाल विश्नोई, सलेअ-आ (लिंक नं. 12874) के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
5. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 129 पर अंकित रेखा मीणा, सलेअ-आ (लिंक नं. 11386) के स्थानान्तरण को कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय समाप्त हो जाने के कारण विलोपित किया जाता है।
6. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 186 पर अंकित संदीप सिंह राव, सलेअ-आ (लिंक नं. 23259) के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय का नाम अशुद्ध टंकित हो जाने के कारण "अधीशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, चित्तौडगढ" के स्थान पर "अधीक्षण अभियंता पदेन परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेंटर, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, चित्तौडगढ" पढा जावें।
7. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 88 पर अंकित देवेन्द्र नारनोलिया, सलेअ-आ (लिंक नं. 10982) के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
8. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 326 पर अंकित कल्पना महेन्द्रा, सलेअ-आ (लिंक नं. 12466) के स्थानान्तरण को कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय नहीं होने के कारण विलोपित किया जाता है।
9. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 93 पर अंकित नरेन्द्र वर्मा, सलेअ-आ (लिंक नं. 12308) के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय का नाम "प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, झोटवाडा, जयपुर" के स्थान पर "क्षेत्रीय पर्यावरण अभियंता (उत्तर), प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर" एवं कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "श्री राकेश चोपड़ा, सलेअ-आ के स्थान पर" पढा जावें।
10. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 99 पर अंकित रामवतार झींगोनिया, सलेअ-आ (लिंक नं. 12276) के कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "क. ले. के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
11. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 163 पर अंकित भागचन्द चौधरी, सलेअ-आ (लिंक नं. 10444) के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय का नाम कार्यालय समाप्त हो जाने के कारण "संयुक्त सचिव 15वां वित्त आयोग, सचिवालय, जयपुर" के स्थान पर "राज्य वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात, सचिवालय, जयपुर" पढा जावें।
12. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 287 पर अंकित हड़मत सिंह, सलेअ-आ (लिंक नं. 11679) के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय सलेअ-आ का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण "अधीशाषी अभियंता सानिवि बालोतरा" के स्थान पर "अधीक्षण अभियंता, सानिवि, वृत्त बालोतरा" एवं कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
13. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 267 पर अंकित मांगीलाल, (लिंक नं. 9625) के कॉलम संख्या 03 में "सलेअ-आ" के स्थान पर "सलेअ-आ" पढा जावें।

14. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 312 पर अंकित सतवीर (लिंक नं. 10777), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में सलेअ-आ का पद रिक्त नहीं होने के कारण "रिक्त पद पर" के स्थान पर "क.ले. के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
15. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 80 पर अंकित पियूष पण्डया, सलेअ-आ (लिंक नं. 10552) के स्थानान्तरण को कॉलम संख्या 06 में नवीन पदस्थापन कार्यालय में सलेअ-आ का पद रिक्त नहीं होने के कारण "श्री सुजीत कुमार मकवाना, सलेअ-। के स्थान पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
16. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 36 पर अंकित मनीष बाजीया, सलेअ-आ (लिंक नं. 12774) के स्थानान्तरण को विलोपित किया जाता है।
17. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 216 पर अंकित भूपेश कुमार वर्मा, सलेअ-आ (लिंक नं. 11504) के कॉलम संख्या 05 में "मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.), बाडमेर" के स्थान पर "ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनवां, बूंदी" पढा जावें।
18. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 112 पर अंकित राजेश मीणा (लिंक नं. 9868), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में नवीन पदस्थापन कार्यालय में सलेअ-आ का पद रिक्त नहीं होने के कारण "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
19. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 160 पर अंकित आदेश कुमार (लिंक नं. 10418), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय का नाम स्पष्ट अंकित नहीं होने के कारण "स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर" के स्थान पर "निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर" एवं कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "क.ले. के रिक्त पद पर" पढा जावें।
20. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 87 पर अंकित सलेअ-आ (लिंक नं. 11288) के कॉलम संख्या 03 में कार्मिक का नाम अशुद्ध टंकित हो जाने के कारण "प्रकाश कुमार मीणा" के स्थान पर "पंकज कुमार मीणा" पढा जावें।
21. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 261 पर अंकित हर्षवर्धन सिंह (लिंक नं. 10703), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में नवीन पदस्थापन कार्यालय में सलेअ-आ का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
22. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 127 पर अंकित आशिष कुमार (लिंक नं. 13059), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 05 में नवीन पदस्थापन कार्यालय में एक पद पर दो कार्मिकों का स्थानान्तरण हो जाने के कारण "प्राचार्य कृषि महाविद्यालय, भरतपुर" के स्थान पर "पंचायत समिति, सेवर, भरतपुर" एवं कॉलम संख्या 06 में "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढा जावें।
23. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 01 पर अंकित प्रमोद कुमार मीणा (लिंक नं. 12104), सलेअ-आ के कॉलम संख्या 06 में नवीन पदस्थापन कार्यालय में सलेअ-आ का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
24. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 183 पर अंकित ताराचन्द सैनी, (लिंक नं. 9448) के स्थानान्तरण को विलोपित किया जाता है।

विभागीय आदेश संख्या 246/2024-25 दिनांक 15.01.2025 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

1. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 87 पर अंकित पुष्पेन्द्र अग्रवाल, सलेअ-आ (लिंक नं. 10354) के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय का नाम अशुद्ध टंकित हो जाने के कारण "निदेशालय, महिला एवं बाल विकास, जयपुर" के स्थान पर "महिला एवं बाल विकास (प्रथम), जयपुर" पढा जावें।
2. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 268 पर अंकित गौरव चौहान, सलेअ-आ (लिंक नं. 10632) के कॉलम संख्या 06 में नवीन पदस्थापन कार्यालय में सलेअ-आ का पद रिक्त नहीं होने के कारण "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
3. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 146 पर अंकित गजेन्द्र सिंह, सलेअ-आ (लिंक नं. 12510) के कॉलम संख्या 06 में नवीन पदस्थापन कार्यालय में सलेअ-आ का पद रिक्त नहीं होने के कारण "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
4. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 246 पर अंकित चम्पतलाल, सलेअ-आ (लिंक नं. 11602) के कॉलम संख्या 06 में नवीन कार्यालय में सलेअ-आ का पद रिक्त होने के कारण "श्री नरेन्द्र कुमार, सलेअ-।। के स्थान पर" के स्थान पर "सलेअ-आ के रिक्त पद पर" पढा जावें।
5. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 180 पर अंकित पपीता मीना, सलेअ-आ (लिंक नं. 11411) के कॉलम संख्या 06 में नवीन पदस्थापन कार्यालय में सलेअ-आ का पद रिक्त नहीं होने के कारण "निधि रानी गुप्ता, सलेअ-आ के स्थान पर" के स्थान पर "क.ले. के विरुद्ध रिक्त पद पर" पढा जावें।

6. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 181 पर अंकित निधिरानी गुप्ता, सलेअ-1A (लिंक नं. 12993) के स्थानान्तरण को विलोपित किया जाता है।
7. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 60 पर अंकित पृथ्वीराज मीणा, सलेअ-1A (लिंक नं. 12122) के स्थानान्तरण को विलोपित किया जाता है।
8. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 85 पर अंकित परमिन्दर सिंह सैनी (लिंक नं. 5058) के स्थानान्तरण को नवीन पदस्थापन कार्यालय में एक पद पर दो कार्मिकों का स्थानान्तरण हो जाने के कारण विलोपित किया जाता है।
9. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 135 पर अंकित कमला सोनी, सलेअ-1A (लिंक नं. 12460) के स्थानान्तरण को नवीन पदस्थापन कार्यालय में एक पद पर दो कार्मिकों का स्थानान्तरण हो जाने के कारण विलोपित किया जाता है।
10. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 36 पर अंकित बिन्दु धोलिवाल, सलेअ-1A के कॉलम संख्या 02 में लिंक नं. "11807" के स्थान पर "10807" एवं कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय का नाम परिवर्तित हो जाने के कारण "परियोजना निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर" के स्थान पर "उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर" पढा जावें।
11. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 265 पर अंकित विक्रम सिंह शेखावत, सलेअ-1A (लिंक नं. 9818) के कॉलम संख्या 06 में नवीन कार्यालय में सलेअ-1A का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण "रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-1A के रिक्त पद के विरुद्ध" पढा जावें।
12. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 126 पर अंकित ओमप्रकाश सुथार, सलेअ-1A (लिंक नं. 11765) के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय का नाम अशुद्ध टंकित हो जाने के कारण "कृषि उपज मण्डी, जोधपुर" के स्थान पर "कृषि उपज मण्डी समिति(फल सब्जी), जोधपुर" पढा जावें।
13. विभागीय आदेश के क्रम संख्या 156 पर अंकित पीयूष सिंह, सलेअ-1A (लिंक नं. 10911) के कॉलम संख्या 05 में नवीन कार्यालय का नाम परिवर्तित हो जाने के कारण "जिला आयुर्वेद अधिकारी, चित्तौड़गढ़" के स्थान पर "उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, चित्तौड़गढ़" पढा जावें।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-1A, 11A/5864

जयपुर दिनांक :- 27/03/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. श्री..... कनिष्ठ लेखाकार/सलेअ-1A को कार्यालय..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1/11) कार्यालय हाजा।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-11/111)